



Neutral Citation No. -2026:AHC:5493

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या - 45063 वर्ष 2024

कृष्णपाल उर्फ के.पी.

.....आवेदक

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

.....प्रतिवादी

आवेदक के अधिवक्ता	:	बाल कृष्ण यादव, राय साहब यादव
प्रतिवादी पक्ष के अधिवक्ता	:	जी.ए.

न्यायालय संख्या - 66

माननीय न्यायमूर्ति कृष्ण पहल

1. वाद सूची पुनरीक्षित की गई।

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है।

सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



2. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता श्री बाल कृष्ण यादव, राज्य की ओर से विद्वान ए.जी.ए. श्री सुनील कुमार को सुना गया तथा अभिलेख का अवलोकन किया गया।
3. प्रस्तुत जमानत प्रार्थना-पत्र आवेदक द्वारा वाद अपराध संख्या 302 सन् 2023, धारा 324, 302/34 आई.पी.सी., थाना- मिलक, जनपद- रामपुर में जमानत पर रिहा किए जाने की प्रार्थना के साथ प्रस्तुत किया गया है।
4. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि प्रथम सूचना रिपोर्ट में आवेदक नामजद है और उसे झूठा फंसाया गया है। उन्होंने आगे प्रस्तुत किया कि आवेदक को केवल फावड़े से मृतक पर प्रहार करने की भूमिका दी गई है, जबकि मृतक के शरीर पर चीरेदार घाव पाए गए हैं। विचारण अत्यन्त धीमी गति से चल रहा है।
5. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने आगे प्रस्तुत किया कि आवेदक को जमानत पर रिहा किया जा सकता है, क्योंकि वह 30.10.2023 से कारागार में निरुद्ध है और उसकी निरुद्धता की अवधि दो वर्ष से अधिक हो चुकी है तथा आज तक केवल एक ही साक्षी का परीक्षण हुआ है। वह विचारण में सहयोग करने के लिए तैयार है। यदि उसे जमानत पर रिहा किया जाता है, तो वह जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगा।
6. इसके विपरीत, विद्वान ए.जी.ए. ने इस आधार पर जमानत प्रार्थना-पत्र का घोर विरोध किया कि यह एक प्रत्यक्ष एवं स्पष्ट मामला है, आवेदक प्रथम सूचना रिपोर्ट में नामजद है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट अभियोजन की कहानी की पुष्टि करती है; अतः वह जमानत का अधिकारी नहीं है।

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है।

सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



7. इस न्यायालय ने संबंधित विचारण न्यायालय से विचारण की स्थिति तलब की थी। उक्त स्थिति-प्रतिवेदन दिनांक 12.12.2025 के अनुसार, आज तक केवल एक ही साक्षी का परीक्षण हुआ है।

8. सर्वोच्च न्यायालय ने **एक्स बनाम स्टेट ऑफ राजस्थान एवं अन्य, 2024 आई.एन.एस.सी. 909** वाद में प्रतिपादित किया है कि एक बार विचारण प्रारम्भ हो जाने पर, सामान्यतः उसे उसके अंतिम निष्कर्ष तक पहुंचने दिया जाना चाहिए, जिसका परिणाम अभियुक्त के दोषसिद्ध या दोषमुक्त होने के रूप में हो सकता है। आरोप तय हो जाने के पश्चात् अभियुक्त को सामान्यतः जमानत नहीं दी जानी चाहिए। बयान में इधर-उधर की विसंगतियों को देखकर भी जमानत प्रदान नहीं की जानी चाहिए।

9. पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा प्रस्तुत प्रतिद्वंद्वी निवेदनों को सुनने तथा इस तथ्य पर विचार करने के उपरान्त कि विचारण लगभग अपने तार्किक अंत पर है, मैं आवेदक को जमानत प्रदान किए जाने हेतु इसे उपयुक्त मामला नहीं पाता हूँ।

10. जमानत याचिका में कोई योग्यता नहीं पाई गई है और तदनुसार इसे **खारिज** किया जाता है।

11. तथापि, यह निर्देशित किया जाता है कि विचारण न्यायालय के समक्ष लंबित उपर्युक्त वाद का निस्तारण, यदि कोई विधिक बाधा न हो, तो सर्वोच्च न्यायालय द्वारा **विनोद कुमार बनाम स्टेट ऑफ पंजाब; 2015 (3) एस.सी.सी. 220** तथा **हुसैन और अन्य बनाम यूनियन ऑफ इंडिया; (2017) 5 एस.सी.सी. 702** वादों में प्रतिपादित सिद्धांत के आलोक में, यथाशीघ्र किया जाए।

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है।

सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



12. यह स्पष्ट किया जाता है कि यहाँ की गई टिप्पणियाँ जमानत प्रार्थना-पत्र के निस्तारण से संबंधित पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत तथ्यों तक सीमित हैं और विचारण के दौरान वाद के गुण-दोष पर उनका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

(न्यायमूर्ति कृष्ण पहल)

जनवरी 6, 2026

एस.वाई.

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है।

सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।